

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2021/27677/KNJ/KANNAUJ/146/CFO

दिनांक: 29-01-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST. PAULS SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **Gata No. 103, 105, 260,Lalakpur post Hariharpur chhibramau,Chhibramau** तहसील - **Chhibramau** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ST PAULS SCHOOL	4	0	12.95 mt.

तथा प्लॉट एरिया **13790 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ST. PAULS SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **29-01-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **Santhosh Celestine** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **29-01-2024** से **28-01-2027** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : This renewal of noc is on the basis of report of FSSO chbr by the UP Go. 18-chh-po-8-2022-905-34-2016TC dated 07.01.2022,NBC 2005. All firefighting systems is in working condition. This is responsibility of owner to maintain them in working condition. All access and means of escape shall be free from any obstacle. This inspection report for Renewal NOC is valid only for school till third floor. Electrical Safety Audit of premises is Mandatory. To Submit Operational Certificate of Fire System on Half Yearly Basis and deploy Fire Officer as per the provisions of Act 2022. Before any type of construction in building proper permission/NOC from concerned departments will be mandatory.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(MUQIMUL HAQ)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 29-01-2024
स्थान : KANNAUJ

[F2C8A8E1839A7D5DAC5E8FE93A3D684B88764E5F]

29-01-2024